रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 537] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17, 1977/अग्रहायण 26, 1899

No. 537] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17, 1977/AGRAHAYANA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th December 1977

S.O. 844(E)/18FB/IDRA/72.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government by Ministry of Industry (Department of Industrial Development Order No. S.O.(E) dated the 15th December, 1977 authorised a body of persons (hereinafter referred to as the Board of Management) to take over the management of Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the Undertaking)

And whereas the Board of Management has taken over the management of the Undertaking on the 16th December, 1977,

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the Undertaking,

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that:—

(a) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force

(to which the Undertaking is a party or which may be applicable to the Undertaking) immediately before the date of publication of this Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), and

(b) all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended.

2 This Order shall remain in force upto 16th December, 1978

[No. F 4/26/76-CUC]

B. R R. IYENGAR, Jt. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1977

का० आ० 844 (अ)/18एफ०बी०/आई०डी०आर० ए०/72.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उद्योग, मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 840(ई) तारीख 15 दिसम्बर, 1977 द्वारा व्यक्तियों के एक निकाय को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड कहा गया है) बंगाल कैमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्कस लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और प्रबन्ध बोर्ड ने उस उपक्रम का प्रबन्ध 16 दिसम्बर, 1977 को अपने हाथ मे ले लिया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उपक्रम के उत्पादन की मात्रा मे गिरावट को रोकने की दृष्टि से, सर्वसाधारण के हित मे, ऐसा करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषित करती है कि—

(क) इस आदेश के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारो, व्यवस्थापनों, पंचाटो, स्थायी आदेशो या अन्य लिखितो का (जिसका कि उपक्रम एक पक्षकार है या जो उपक्रम को लागू होते हो) का प्रवर्तन (जो बैंको या वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित नहीं है); और

(ख) उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन उद्भूत और प्रोद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व निलम्बित रहेंगे ।

2 यह आदेश 16 दिसम्बर, 1978 तक प्रवृत्त बना रहेगा ।

[सं० फा० 4/26/76—सी०यू०सी०]

बी० आर० आर० आयंगर, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977